

# आयालय नायब तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

प्रकरण संख्या 81/2021 तारीख प्रवेश : 29.01.2021 तारीख निर्णय: 23.03.2021

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का फिरोजपुर तहसील राजगढ जिला अलवर

.....प्रार्थी

## बनाम

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र जैतसिंह जाति राजपूत निवाससी होदयली
2. लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमान सिंह राजपूत निवासी होदयली
3. श्री अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवाससी होदयली
4. श्री दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवाससी होदयली तहसील राजगढ जिला अलवर

.....अप्रार्थी

## निर्णय

निर्णय दिनांक 23.03.2021

आज यह प्रकरण वास्ते निर्णय पेश हुआ । प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का फिरोजपुर तहसील राजगढ जिला अलवर के द्वारा सम्वत् 2077 मे रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंह जी महाराज विराजमान वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23 हैक्ट बाराणी प्रथम वाके ग्राम होदयली पर श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का फिरोजपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 मे आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23 हैक्ट मे से 0.23 हैक्टेयर पर सरसों की फसलकाशत कर श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमान सिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण होना बताया गया ।

प्रकरण के सम्बंध मे राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज -6 / 2007 / पार्ट / 5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 तथा परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज-6 / 2007 / पार्ट जयपुर दिनांक 20.08.2020 मे दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार पटवारी हल्का फिरोजपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दर्ज होना पाया जाने पर प्रकरण

पंजिका किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिसकी विधिवत् तामील होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमान सिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर उपस्थित आये। उनके द्वारा जवाब नोटिस पेश नही किया गया। सुनवाई एवं अन्य साक्ष्य / सबूत पेश करने हेतु समय दिया गया। उनके द्वारा जवाब अन्य कोई साक्ष्य / सबूत दस्तावेज पेश नही किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण पत्रावली का गहनता से मनन कर अवलोकन किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का भी ध्यानपूर्वक मनन कर अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगणों को सुना गया। धारा 91 की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया। कानून की मंशा निम्न प्रकार से पाई गई है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या -5 मे राज्य सरकार द्वारा " मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि सम्बंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक / चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे" के निर्देश जारी किये गये है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार मंदिर मूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज वाके ग्राम होदायली की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23 हैक्ट. किस्म बारानी प्रथम मंदिर मूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिस पर अप्रार्थी श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण होना पाया गया है और अप्रार्थी श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमान सिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा वक्त सुनवाई फसल काशत सरसों की किया जाना स्वीकार किया गया। मंदिर मूर्ति नृसिंह जी महाराज वाके ग्राम होदायली की भूमि पर सरसों की फसल काशत करने के कथन से अतिक्रमण होने की पुष्टि होती है।

अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी के अनुसार मंदिरमूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज वाके ग्राम होदायली की खातेदारी की आराजी है, जिस पर अप्रार्थी श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमान सिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा सरसों फसल काशत कर अतिक्रमण होना पुष्ट होता है, जिससे मंदिर मूर्ति की भूमि होने से अप्रार्थी श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र

तसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमान सिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर की हैसियत एक अतिक्रमी की है और मंदिर मूर्ति की भूमियों से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अप्रार्थी / अतिक्रमी श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह, श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र हनुमान सिंह, अजीतसिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं दीपूसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मंदिरमूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23 हैक्ट अतिक्रमित रकबा 0.23 हैक्टयर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। सम्बंधित भू0अ0निरीक्षक व पटवारी हल्का फिरोजपुर तहसील राजगढ जिला अलवर को तहरीर जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करे, साथ ही पटवारी रिपोर्ट अनुसार सरसों फसल काश्त की नियमानुसार नीलामी कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो बादपूर्ति दाखिल लेख भण्डार हों।

आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अंकित कुमार)

नायब तहसीलदार राजगढ(अलवर)  
राजगढ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या 01 राशि फि. नि. 1100/-  
राशि कायम किये गये।  
त. रा. लेखाकार